<u>**प्रेस नोट –**</u>

<u>**थाना बबीना, जनपद झाँसी**</u>

<u>**दिनांक 12.11.2025**</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तार हेतु की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **24 घण्टे के अन्दर हत्या के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रक्तरंजित हसिया बरामद.**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 12.11.2025 को समय करीब 08:21 बजे थाना बबीना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के अभियोग मु0अ0सं0 352/2025 धारा 103(1)/238/352/351(3) बी.एन.एस. में वाँछित अभियुक्तगण 1. बृजलाल रायकवार पुत्र स्व0 जगन रायकवार उम्र 37 वर्ष 2. श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 जगन रायकवार उम्र 55 वर्ष निवासी गण मुखियानगर बबीना रूरल थाना बबीना जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बृजलाल रायकवार की निशादेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 लोहे की रक्तरंजित हसिया बरामद किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा गया।

<u>**संक्षिप्त विवरण-**</u>

दिनांक 11.11.2025 को वादी श्री गनेश प्रसाद पुत्र स्व0 सुन्दर रायकवार निवासी मुखियानगर बबीना रूरल थाना बबीना जिला झाँसी द्वारा थाना बबीना पर लिखित सूचना दी गई कि उनका अपने छोटे भाई स्व. जगन रायकवार की पत्नी मीरा देवी व उनके पुत्र बृजलाल रायकवार से पुश्तैनी जमीन के बँटवारे एवं खेत में आने-जाने के रास्ते को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है।

वादी ने बताया कि मीरा देवी व उनका पुत्र बृजलाल आए दिन गाली-गलौज करते हैं तथा परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी देते हैं। लगभग 10-12 दिन पूर्व उन्होंने खेत की जुताई के समय रास्ता रोककर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी थी कि 15 दिन में किसी को जान से मार देंगे। उस समय वादी का परिवार भी मौजूद था।

वादी के अनुसार, दिनांक 10.11.2025 को उनकी पत्नी शीला देवी (उम्र 55 वर्ष) खेत पर काम करने गई थीं, जो देर रात तक वापस नहीं लौटीं। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना बबीना पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दिनांक 11.11.2025 को प्रातः घर के पीछे वन विभाग क्षेत्र में तलाश के दौरान शीला देवी का शव एक छोटे गड्ढे में मिला। वादी द्वारा उसकी पत्नी की हत्या बृजलाल रायकवार एवं उसकी माँ मीरा देवी द्वारा किए जाने तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से गड्ढे में फेंक दिये जाने के आरोप लगाए गये।

वादी के लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना बबीना पर दिनाँक 11.10.2025 को मु0अ0सं0 352/2025 धारा 103(1), 238, 352, 351(3) बीएनएस बनाम 1. बृजलाल रायकवार व 2. मीरा देवी उपरोक्त के पंजीकृत किया गया है। बबीना पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास करते हुए विवेचना के क्रम में आज घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त बृजलाल के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्त रक्तरंजित हसिया बरामद किया गया।

<u>**विवरण पूछताछ-**</u>

अभियुक्त बृजलाल रायकवार, पुत्र स्व0 जगन रायकवार, उम्र 37 वर्ष, निवासी मुखियानगर, बबीना रूरल, थाना बबीना, जिला झाँसी, से पूछताछ पर उसने बताया कि करीब दस वर्ष पूर्व उसके पिता का निधन हो गया था। मुखियानगर में केवल उसकी माता, श्रीमती मीरा देवी, रहती हैं। वह दो भाई व एक बहन होने का उल्लेख करता है, बड़ा भाई बलवीर रायकवार है, जो अपने परिवार के साथ झाँसी में रहता है, तथा बहन ऊषा की शादी हो चुकी है और वह अपनी सासुराल चुरावनी, तालबेहट में रहती है। वह स्वयं कस्बा बबीना में बड़े तालाब के पास स्थित पुस्तैनी मकान में रहता है। मुखियानगर में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं तथा वे सब मिलकर खेती करते हैं। उसके नाम पर 66 डेसीमल जमीन है, जिसमें उसकी माता व उसके भाई का भी हिस्सा है। उसके चाचा गणेश प्रसाद रायकवार व परशुराम रायकवार का परिवार भी वहीं रहता है और उनके लड़के भी उसी पुस्तैनी मकान में मकान बनाकर रहते हैं।

<u>**पारिवारिक विवाद व उत्पीड़न-**</u> लगभग 10–12 वर्षों से उसकी माता, मीरा देवी, को उसके चाचा गणेश प्रसाद, चाची शीला देवी व उनके पुत्र (दयाप्रसाद व मंगल सिंह) द्वारा बार-बार परेशान किया जाता रहा है। वे खेत से जबरदस्ती ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। मना करने पर उसकी माता के साथ गाली-गलौज और कथित रूप से मारपीट की जाती है। खेत की फसल जानवरों से चरवा दी जाती है और सिंचाई में बाधा डाली जाती है। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते से उसके घर में गंदगी कराई होने का आरोप भी लगाया। शिकायत करने पर गाली-गलौज जारी रहती है और खासकर चाची शीला देवी के अपशब्द अधिक रहते हैं।

करीब 15 दिन पहले (घटना से पूर्व) गणेश चाचा, उनके पुत्र दयाप्रसाद व चाची शीला देवी जबरदस्ती उसके खेत से ट्रैक्टर निकाल रहे थे। उसकी माता ने उन्हें ट्रैक्टर ले जाने से रोकने का प्रयास किया। मौके पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इन लोगों ने उसकी माता के साथ गाली-गलौज की और उसकी सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की। वह भी मौके पर पहुँचा तो उसे भी गाली-गलौज किया गया और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी गई।

<u>**प्रतिशोध की योजना-**</u> उक्त अपमान व कुंठा से प्रेरित होकर उसने तथा उसकी माता ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बिना कुछ किए यहां रहना कठिन है और उन्हें इन लोगों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने प्रतिशोध का अवसर तलाशना शुरू किया।

<u>**दिनांक 10.11.2025 का घटनाक्रम-**</u> दिनांक 10.11.2025 को दिन में लगभग 14:00 बजे जब चाची शीला देवी घर से बाहर निकलीं (संभवतः खेत जाने के लिए) और हसिया साथ लेकर चलीं, तब वह

और उसकी माता उनसे बातचीत के बहाने साथ हो गए और गाँव से कुछ दूर पहाड़ियों के पास झाड़ियों के उस पार ले गये। बातचीत के दौरान उन्होंने चाची के दोनों हाथ उनकी साड़ी से बांध दिए। उसके बाद चाची के सिर, गले व शरीर के अन्य भागों पर हसिया से प्रहार किया गया, जिससे चाची की मृत्यु हो गई। शव को पास की झाड़ियों के बीच स्थित गड्ढे में फेंक दिया गया।

उस समय उसने ऊपर जैकेट और नीचे जींस पैंट पहनी थी। घटना के तुरंत बाद वह घर आकर अपनी जैकेट साबुन से अच्छे से धोकर रख दी। जींस धोने ही वाला था कि कोमल चाचा का फोन आया कि चाची शीला देवी नहीं मिल रही हैं। वह जल्दी में जींस धोना भूल गया और अपने मित्र अज्जू के साथ तथा परिवार के लोगों के साथ चाची को खोजने मुखिया नगर गया। वहाँ जंगल में इधर-उधर तलाश की गई और रात लगभग 12:00 बजे वह सो गया था। अगले दिन सुबह लगभग 09:00 बजे सभी मिलकर जंगल में चाची की खोज कर रहे थे, तभी गड्ढे में चाची का शव दिखा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विविरण-</u>

1. बृजलाल रायकवार पुत्र स्व0 जगन रायकवार उम्र 37 वर्ष
2. श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 जगन रायकवार उम्र 55 वर्ष निवासी गण मुखियानगर बबीना रूरल थाना बबीना जिला झाँसी

<u>बरामदगी</u>- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रक्तरंजित हसिया

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.प्र0नि0 श्री तुलसीराम पाण्डेय थाना बबीना जनपद झाँसी ।
2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार त्रिपाठी थाना बबीना जनपद झाँसी ।
3.उ0नि0 श्री सन्त प्रकाश त्रिपाठी थाना बबीना जनपद झाँसी ।
4.उ0नि0 श्री अतुल कुमार पाण्डेय थाना बबीना जनपद झाँसी ।
5.म0उ0नि0 मनु चौधरी थाना बबीना जनपद झाँसी ।
6.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी ।
7.हे0का0 324 बृजेश सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी ।
8.हे0का0 286 आशीष कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी ।
9.का0 776 शिवजीत सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी ।
10.म0का0 03 साध्वी दुबे थाना बबीना जनपद झाँसी ।